

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा

संख्या-16

अष्टम (बजट) सत्र

गुरुवार, दिनांक-24 मार्च, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.02 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-13

(क) उत्तरित कुल-06,

अ० स०-क-105, श्री मनीष जयसवाल,

स०वि०स०,

अ० स०-212, डॉ लम्बोदर महतो,

स०वि०स०,

अ० स०-213, श्री सरयू राय,

स०वि०स०,

अ० स०-214, श्री राजेश कच्छप

स०वि०स०,

(इस अवसर पर आसन द्वारा माननीय सदस्या, सुश्री आमा प्रसाद, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह एवं श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता को निरेश दिया गया कि सदन के बाहर घरने पर बैठी माननीय सदस्या, श्रीमती सीता सोरेन को सम्मान सदन में लाया जाय तत्परतात् उन्हें सदन में सम्मान लाया गया।)

अ० स०-215, श्री छलू महतो,

स०वि०स०,

अ० स०-216, श्री भानू प्रताप शाही,

स०वि०स०।

(ख) स्थगित मात्र-01 अ० स०-217, श्री सरयू राय, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-06, अ० स०-218 से लेकर अ० स०-223 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-41

(क) उत्तरित मात्र-01, तारां०-687, श्री राज सिन्हा, स०वि०स०,

(ख) स्थगित मात्र-01, तारां०-688, डॉ सरफराज अहमद, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-39, तारां०-689 से लेकर तारां०-727 तक।

(इस अवसर पर आसन के निदेश से माननीय सदस्या, श्रीमती सीता सोरेन ने अपने द्वारा सदन के बाहर दिये गये धरना के सम्बन्ध में कारणों का विस्तार से उल्लेख करते हुए सम्बन्धित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की माँग की।)

कृष्ण रु०

२. शून्यकाल की सूचनाएँ:-

नियमानुसार आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाएँ पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी-

श्री अनन्त कुमार ओझा, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्री बंधु तिकीं, श्री केदार हजरा, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, श्री प्रदीप यादव, श्री ढुलू महतो, श्री उमाशंकर अकेला, श्री मंगल कालिन्दी, श्री किशन कुमार दास, श्री रामचन्द्र सिंह, डॉ० इरफान अंसारी, श्री नारायण दास, श्री दीपक बिरुवा, डॉ० नीरा यादव, श्री समीर कुमार मोहन्ती, श्री जय प्रकाश भाई पटेल, श्री भूषण बड़ा, श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री दशरथ गामराई, श्री संजीव सरदार, श्री रामदास सोरेन, श्री नमन विकसल कोनगाड़ी, श्री बिरंची नारायण, श्री राज सिन्हा।

३. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ:-

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, सुश्री आमा प्रसाद द्वारा हचारीबाटा जिले के हेसल में पौच हजार ग्रामीणों को जियाडा द्वारा बेचर किये जाने की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए अमुरोच किया गया कि उनकी जमीनों को सरकार वापस कराये जिसे संज्ञान में लिया गया।)

- i- माननीय सदस्य, श्री मंगल कालिन्दी एवं अन्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,
- ii- माननीय सदस्य, श्री नारायण दास एवं अन्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,
- iii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

4. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम, संसदीय कार्य विभाग द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या-08/विविध-01-13/2021-1860, दिनांक-08.06.2021 द्वारा गठित न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन जो दिनांक-22.01.2022 को समर्पित किया गया है, की एक प्रति **The commission of Inquiry Act-1952** की धारा-3 (उप धारा-4) के प्रावधान के आलोक में सभा पटल पर रखा गया।

5. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

i- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा ने सभा नियम-250(3) के तहत नियम समिति की दिनांक-18 जनवरी, 2022 की बैठक में की गयी सिफारिशों जो सभा पटल पर दिनांक-08 मार्च, 2022 को रखी गयी जिसपर दिनांक-14 मार्च, 2022 तक झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों से संशोधन प्राप्त किये गये जिसपर नियम समिति की दिनांक-22 मार्च, 2022 को बैठक हुई। उक्त बैठक में विषद् चर्चा के उपरांत नियम समिति की दिनांक-18 जनवरी, 2022 की सिफारिशों को यथावत् रूप में अपनी सहमति प्रदान की है, के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया कि सभा नियम में नुटिपूर्ण शब्दों को शुद्ध किया जाय तथा नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन में यथा अनुशंसित सिफारिशों को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के रूप में अंगीकृत किया जाय-

1. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-304(2) की तीसरी पंक्ति में शून्यकाल की "15(पन्द्रह)" सूचनाओं के स्थान पर "25(पच्चीस)" सूचनाये प्रतिस्थापित किया जाय,
2. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-52 को विलोपित किया जाय,
3. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-34(3) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द "अधिक से अधिक" को विलोपित किया जाय जो ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii- झारखण्ड विधान सभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरहता के नियम-2006 में संशोधन के सम्बन्ध में आसन द्वारा निम्न रूप में पढ़ा गया-

झारखण्ड विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम, 2006 के नियम-6(1) में वर्णित पारा "कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरहता के ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के सम्बन्ध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गयी अर्जी द्वारा किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान (**Suo Moto**) के आधार पर भी किया जा सकेगा" को निर्मांकित रूप में प्रतिस्थापित किया जाय-

6(1) "कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के सम्बन्ध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति द्वारा दी गयी अर्जी द्वारा किया जायेगा", जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुए।

A.

6. विधायी कार्य:-

(क) राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं 03, खण्ड-04, खण्ड-05, खण्ड-06, खण्ड-07, खण्ड-01(नाम) तथा प्रस्तावना बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् “राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता विधेयक-2022” सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा एक को छोड़कर शेष प्राप्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

(ख) झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (सम्बद्धन और सुविधा) विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, श्री बादल द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं 03, खण्ड-04 से 09, खण्ड-10, खण्ड-11, खण्ड-12 से खण्ड-65 तक, खण्ड-66, खण्ड-67, खण्ड-68 से खण्ड-139, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् “झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (सम्बद्धन और सुविधा) विधेयक-2022” सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही शुरूवात, दिनांक-25.03.2022 के 11.00 बजे पूर्वांतर के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 24. मार्च, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैंदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।